भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 94*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता

94* श्री आलोक शर्मा:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2004 से 2014 तक की अवधि के दौरान तथा उसके बाद से आज तक की अवधि के दौरान यूरिया के तुलनात्मक औसत वार्षिक उत्पादन सहित यूरिया उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वर्ष 2014 से की गई पहलों से पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में स्वदेशी यूरिया उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता में काफी वृद्धि हुई है और आयात पर निर्भरता कम हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बंद पड़े यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार, मौजूदा इकाइयों की क्षमता में विस्तार, ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने और नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना सहित वर्ष 2014 से वर्ष-वार क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या घरेलू उत्पादन में वृद्धि और वितरण प्रणाली में सुधार होने से किसानों को बुवाई के व्यस्ततम मौसम के दौरान यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख कृषि जिलों में उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण और वितरण अवसंरचना को और सुदृढ़ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता' के संबंध में दिनांक 24.07.2026 को दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.94* के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

(क): देश में 2004 से 2014 की अवधि के दौरान तथा उसके बाद से आज तक के यूरिया के तुलनात्मक औसत वार्षिक उत्पादन सहित यूरिया उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए बढ़ा है।

उपर्युक्त उपायों से 2014-15 के दौरान रहा यूरिया उत्पादन प्रति वर्ष 225 एलएमटी के स्तर से 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर 314.07 एलएमटी हो गया है। 2025-26 के दौरान, देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन किया गया था।

इसके अलावा, सीसीईए ने हाल ही में यूरिया क्षेत्र में नए निवेश के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को मंजूरी दी है।

(घ) और (ड.): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तद्नुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.2026 से 19.07.2026 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

अनुलग्नक-।

यह अनुलग्नक 24.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.94* के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

राज्य-वार यूरिया उत्पादन (आंकड़े एलएमटी में)

राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आंध्र प्रदेश	13.92	13.79	13.24	13.54	13.78	14.80	16.56	15.62	15.65	14.27
कर्नाटक	3.36	4.00	3.70	3.80	3.79	3.80	3.79	3.79	3.80	3.79
तमिलनाडु	11.52	9.89	11.19	4.41	4.06	4.36	7.79	11.08	9.19	7.73
गोवा	4.49	4.00	4.03	3.95	4.12	3.88	3.97	3.65	3.86	3.76
मध्य प्रदेश	18.66	18.42	18.49	17.66	18.04	18.28	18.78	19.14	19.32	21.69
महाराष्ट्र	17.90	16.84	18.61	18.32	19.03	20.89	21.25	21.09	23.36	23.46
गुजरात	33.01	33.07	31.54	31.95	31.32	32.64	33.29	30.21	37.89	38.29
राजस्थान	22.35	22.80	22.87	23.81	23.14	24.13	25.04	25.32	24.77	23.44
असम	2.06	2.52	3.08	3.29	1.89	3.10	2.85	2.79	3.91	3.06
हरियाणा	5.31	5.04	5.09	5.12	4.89	5.13	4.70	5.00	4.14	5.11
पंजाब	10.31	9.98	9.93	9.90	10.52	9.89	10.32	9.86	8.66	9.55
उत्तर प्रदेश	59.74	60.63	61.32	62.82	64.65	70.24	70.48	72.29	71.22	73.00
कुल योग	**202.63**	**200.99**	**203.08**	**198.57**	**199.22**	**211.12**	**218.80**	**219.84**	**225.75**	**227.15**

2004-05 से 2013-14 तक औसत उत्पादन: 210.72 एलएमटी

राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (जून 2026 तक)
आंध्र प्रदेश	9.31	13.43	14.98	15.90	5.85	6.93	7.43	9.14	11.21	13.10	2.17	0.00	0.00
कर्नाटक	2.51	3.80	3.80	4.20	3.50	3.80	3.54	4.29	3.32	4.35	4.43	4.35	1.21
तेलंगाना						0.03	0.02	3.83	8.41	11.12	11.95	8.56	3.06
तमिलनाडु	8.21	10.29	10.31	10.78	10.46	8.95	11.01	11.24	12.79	9.55	12.50	12.12	3.23
गोवा	3.63	4.00	4.65	4.73	4.09	2.33	4.66	4.34	4.25	3.47	4.17	4.05	0.87
मध्य प्रदेश	20.88	21.37	21.97	21.32	21.61	20.37	20.93	19.96	22.37	21.66	21.35	19.73	5.40
महाराष्ट्र	26.02	25.50	25.52	25.02	23.75	23.47	22.51	21.86	21.96	21.81	20.90	21.21	5.37
गुजरात	38.79	39.21	40.04	38.17	39.60	39.44	39.61	37.77	38.92	39.73	40.09	36.78	7.34
राजस्थान	22.49	25.26	23.95	25.03	28.93	36.53	37.48	37.05	37.44	37.93	38.69	37.73	7.50
असम	3.59	3.23	3.11	2.70	2.86	1.56	1.32	1.70	2.23	1.80	1.87	2.35	0.46
पश्चिम बंगाल				0.11	0.00	0.00	0.00	6.29	10.52	14.99	14.71	14.47	3.87
हरियाणा	5.12	5.67	5.43	5.60	5.74	5.52	5.83	4.69	5.70	5.30	5.15	5.51	1.34
पंजाब	10.39	10.95	10.70	11.05	11.25	11.37	11.24	10.61	11.27	9.93	10.64	11.17	2.64
उत्तर प्रदेश	74.92	82.06	77.55	75.63	81.35	84.28	80.47	77.96	91.07	97.35	97.02	89.44	22.72
बिहार								0.00	1.74	10.57	8.55	11.98	3.68
झारखंड								0.00	1.74	11.44	12.47	13.83	2.86
कुल योग	**225.85**	**244.75**	**242.01**	**240.23**	**238.99**	**244.58**	**246.05**	**250.72**	**284.94**	**314.10**	**306.67**	**293.26**	**71.55**

2014-15 से 2025-26 तक औसत उत्पादन: 261.01 एलएमटी

अनुलग्नक-।।

यह अनुलग्नक 24.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.94* के उत्तर के भाग (घ) और (ड) से संबंधित है।

चल रहे खरीफ़ मौसम 2026 (19.07.26) के दौरान राज्य-वार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री														(आंकड़े एलएमटी में)			
		यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.28	6.31	2.44	3.88	0.66	1.53	0.72	0.81	0.35	0.70	0.29	0.41	1.83	6.37	2.45	3.93
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.27	2.08	1.57	0.52	0.18	0.39	0.23	0.17	0.13	0.42	0.19	0.24	0.13	0.28	0.09	0.19
5	बिहार	4.02	7.46	2.90	4.56	1.43	2.19	0.80	1.38	0.75	0.80	0.11	0.69	1.71	3.19	0.64	2.55
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	5.59	7.27	4.83	2.44	2.39	1.88	1.32	0.55	0.60	0.82	0.50	0.32	1.90	2.24	1.51	0.73
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.09	0.08	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
12	गुजरात	5.63	8.01	5.17	2.84	2.45	2.19	1.53	0.66	0.29	0.41	0.19	0.22	3.31	4.15	2.17	1.98
13	हरियाणा	5.93	9.39	7.17	2.22	1.23	1.61	1.15	0.45	0.37	0.38	0.13	0.25	0.29	0.42	0.16	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.37	0.24	0.13	0.01	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02	0.08	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.57	1.12	0.75	0.37	0.17	0.29	0.19	0.10	0.08	0.15	0.10	0.04	0.01	0.06	0.02	0.04
16	झारखंड	1.35	2.05	0.91	1.14	0.41	0.38	0.21	0.17	0.04	0.06	0.01	0.05	0.51	0.58	0.24	0.34
17	कर्नाटक	6.04	8.26	4.35	3.91	2.61	3.07	2.23	0.84	1.25	1.58	0.74	0.85	7.12	11.95	6.60	5.36
18	केरल	0.31	0.64	0.38	0.26	0.06	0.18	0.08	0.09	0.21	0.43	0.28	0.16	0.48	0.56	0.31	0.25
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	9.61	14.17	8.65	5.52	2.89	3.05	2.07	0.98	0.76	0.58	0.27	0.32	4.21	6.67	3.47	3.20
21	महाराष्ट्र	9.50	13.87	8.42	5.46	3.22	3.57	2.50	1.07	0.80	1.79	0.81	0.97	10.89	20.92	11.29	9.61
22	मणिपुर	0.10	0.18	0.10	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01
23	मेघालय	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	2.64	4.12	1.56	2.56	1.18	1.49	0.75	0.74	0.53	0.73	0.20	0.53	1.63	2.08	0.75	1.33

		यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 को अंतिम स्टॉक
27	पुडुचेरी	0.03	0.05	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	11.53	14.80	11.53	3.27	1.48	2.31	1.28	1.03	0.56	0.64	0.21	0.44	0.48	0.48	0.18	0.30
29	राजस्थान	5.74	10.41	6.44	3.98	2.76	2.58	1.78	0.79	0.04	0.14	0.04	0.10	0.65	1.35	0.64	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.51	4.47	2.84	1.63	0.74	0.98	0.55	0.43	0.57	0.69	0.39	0.31	2.53	3.77	1.94	1.83
32	तेलंगाना	6.92	7.38	3.78	3.60	1.95	1.67	1.36	0.31	0.52	0.53	0.12	0.41	6.73	7.41	3.83	3.57
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.66	0.92	0.68	0.24	0.14	0.30	0.14	0.16	0.04	0.05	0.01	0.05	0.11	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	22.71	32.90	16.69	16.21	4.78	8.45	3.33	5.12	1.39	1.36	0.22	1.14	1.89	6.23	1.25	4.99
36	पश्चिम बंगाल	3.19	7.24	3.18	4.06	0.77	1.33	0.53	0.80	0.74	1.47	0.38	1.09	1.91	5.63	1.70	3.93
	अखिल भारतीय	109.40	163.78	94.78	69.01	31.57	39.54	22.82	16.72	10.06	13.81	5.20	8.63	48.48	84.57	39.36	45.21

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री